राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः / सामान्य / 2020 / दिनांकः— 24 / 03 / 2020

आदेश

शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर के आदेश क्रमांक प1(1)चिस्वा / ग्रुप—2 / 2020 दिनांक 22.03.2020 के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश मे दिनांक 22 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त सरकारी कार्यालय, अर्द्ध सरकारी उपक्रम स्वायतशासी संस्थाए, राजकीय निगम / मण्डल एवं समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, मॉल्स, दुकानें, फैक्ट्रियां, वर्कशॉप, गोदाम एवं सार्वजनिक परिवहन (रोडवेज, सिटी परिवहन, प्राईवेट बसें, टेक्सी, ऑटो रिक्शा आदि) आदि पूर्णतः बन्द रखने के आदेश होने से सभी सरकारी कार्यालयों में आमजन के प्रवेश पर विशेष परिस्थितियों को छोड़कर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा।

उक्त आदेश की अनुपालना सुनिश्चित कराने के लिए श्री राजेन्द्र प्रसाद तिंवाड़ी, तहसीलदार (निर्वाचन) की डयूटी लगाई जाती है तथा इन्हें आदेशित किया जाता हैं कि जिला कार्यालय भीलवाड़ा में आमजन के प्रवेश पर विशेष परिस्थितियों को छोड़कर प्रतिबन्ध करने की सुनिश्चितता करें तथा इस आदेश की कड़ाई से पालना कराना सुनिश्चित करें।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं—

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवाड़ी, तहसीलदार (निर्वाचन), भीलवाड़ा।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा